

आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या –86 / 2020

रुखसाना खातुन

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14- फार्म संख्या-563

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
13.03.2023	<p>यह अपीलवाद जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, में दायर विविध वाद सं0-03/2019 में दिनांक 17.06.2020 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।</p> <p>आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदिका का चयन आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका 2013 से हुआ है। प्रश्नगत मामले की सुनवाई जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा किया गया है एवं अपील समाहर्ता के समक्ष किया जा चुका है। अब इस न्यायालय में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलवाद दायर किया है।</p> <p>विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रस्तुत वाद 2013 के मार्गदर्शिका से आच्छादित है जिसको सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।</p> <p>आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामला सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2013 से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक</p>	

05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।" उक्त मार्गदर्शिका में अपील/पुनरीक्षण को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले की सुनवाई जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा किया गया है एवं अपील जिलाधिकारी द्वारा सुना गया है फिर पुनः इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। अर्थात् एक ही वाद में दो जगह अपील सुनना भी विधि के प्रतिकूल है। साथ ही आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता इस बात को साबित करने में असफल रहे कि अपील के विरुद्ध पुनः अपील क्यों/कैसे सुना जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त